इससे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थिति क्या होगी जब कांग्रेस सरकार प्रतिशोध पर तुली हो : डॉ. पूनिया

गहलोत सरकार के दबाव में काम कर रहे अधिकारी भाजपा जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने दे रहे, लेकिन चुनावी वर्ष 2023 के शुरू होते ही उनके तेवर बदल जाएंगे : राजेन्द्र राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर के पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन हुआ, इसमें जिला प्रमुख और प्रधान इत्यादि जनप्रतिनिधि को संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जिला प्रमुखों और प्रधानों को संबोधित किया। डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता गांवों के विकास की है, वंचितों के उत्थान की है और गरीबों के कल्याण की है, उसी के परिणामस्वरूप प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस से अधिक जिला परिषद में भाजपा की प्रचंड विजय हुई।

भाजपा के प्रदेशभर के जिला प्रमुख और प्रधानों की कार्यशाला को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया व उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गुरूवार को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि, पावर लोगों की सेवा के लिए है, लोक कल्याण के लिए है और नरेंद्र मोदी सरकार ने यह साबित करके दिखाया है। जब से पंचायतीराज बना राजस्थान में एक परामप्रा थी कि जिसकी सरकार होती है पंचातीराज पर एकतरफा दो तिहाई दबदबा उन्हीं का होता है, लेकिन राजस्थान में पंचायतीराज बनने के बाद में भाजपा के आप सभी पंचायतीराज के जनप्रतिनिधियों की पूरी टीम पर गर्व कर सकता हूं कि भाजपा के 18 जिला प्रमुख हैं, जो कांग्रेस से अधिक हैं। पंचायतीराज चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम को अभिनंदन करता हूं, इससे ज्यादा प्रतिकूल परिस्थितियां क्या होगी जब कांग्रेस सरकार प्रतिशोध पर तुली हो, परिसीमन के नाम पर कैसे वो पंचायत समिति के वार्ड जीते, कैसे जिला परिषद के वार्ड जीते, ये आप सब लोग मेरे से ज्यादा जानते हो।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकतंत्र और सहकारी संघवाद की बात करते हैं वो दिल्ली तो बाद में जाएं, पहले राजस्थान के पंचाायतीराज का सम्मान करना तो सीखें निरपेक्ष तरीके से, क्योंकि सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार भाजपा के जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव करती हैं, वहीं केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार सभी 36 कौम के उत्थान के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।

प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर ने संगठनात्मक योगदान एवं सुशासन विषय पर बोलते हुए कहा कि 2023 के चुनाव की दृष्टि से पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, बूथ सशक्तिकरण को मजबूत करते हुए पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी भी जनप्रतिनिधियों को लेनी चाहिए। राजनीतिक चुनौतियां व जन आंदोलन विषय पर तीसरा सत्र संबोधित करते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के नागौर जिले से पंचायतीराज की शुरुआत हुई, देश की सर्वाधिक लोगों की आजीविका कृषि है, जो पंचायती राज से जुड़ी हुई है, कांग्रेस सरकार ने इस पंचायतीराज की व्यवस्था को खंडित किया और सवा साल तक राजस्थान में चुनाव हुए, लेकिन जनता ने अभी पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस को आईना दिखाया, भाजपा को बड़ी जीत दिलाई। गहलोत सरकार के दबाव में काम कर रहे अधिकारी भाजपा जनप्रतिनिधियों को काम नहीं करने दे रहे, लेकिन चुनावी वर्ष 2023 के शुरू होते ही उनके तेवर बदल जाएंगे।

गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जनप्रतिनिधि क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों के बारे में हमें लिखित में देते रहें, ताकि आगामी विधानसभा सत्रों में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा सके।

इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश मंत्री श्रवण बगड़ी, पंचायतीराज प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक काशीराम गोदारा, पंचायतीराज प्रकोष्ठ सह-संयोजक राजेन्द्र मीणा, पंचायतीराज प्रकोष्ठ सह-संयोजक गोरधन सिंह, पंचायतीराज प्रकोष्ठ सह-संयोजक भूपेन्द्र सिंह इत्यादि उपस्थित रहे।कक

संत विजयदास को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर दिल्ली भेजा

जयपुर,(कासं)। भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ आत्मदाह का प्रयास करने पर गंभीर रुप से झुलसे संत विजयदास महाराज को गुरूवार को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल से ग्रीन कॉरिडर बनाकर सड़क मार्ग से नई दिल्ली भेज दिया गया।

संत विजयदास ने बुधवार को आंदोलन के दौरान खुद को आग लगा ली, जिससे वह करीब अस्सी प्रतिशत तक झुलस गये थे। इसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से गुरूवार को उन्हें ग्रीन कॉरिडर बनाकर सड़क मार्ग से इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया। राज्य सरकार ने उनके साथ चिकित्सकों की विशेष टीम भेजी है।

डीग क्षेत्र में आदिबद्री और कनकांचल पहाड़ पर खनन के विरोध में साधु संतों का पिछले 551 दिनों से धरना-प्रदर्शन चल रहा था। बुधवार को इस घटना के बाद प्रशासन एवं आंदोलन कर रहे लोगों के बीच समझौता वार्ता हो जाने पर धरना समाप्त हो गया।

- **डीग क्षेत्र में अवैध खनन के विरोध में आत्मदाह का प्रयास में गंभीर रुप से झुलस गए थे**
- **राज्य सरकार ने उनके साथ चिकित्सकों की विशेष टीम भेजी है।**

प्रदेश में करोना के एक्टिव केस डेढ़ हजार के ऊपर पहुंचे

राज्य में गुरूवार को थोड़ी वृद्धि के बाद 23 जिलों में ढाई सौ नए संक्रमित मिले हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश गुरूवार को थोड़ी और वृद्धि के बाद ढाई सौ नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच भरतपुर में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में पिछले चौबीस घंटों में फिर रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर डेढ़ हजार के ऊपर पहुंच गए हैं।

प्रदेश में गुरूवार को 23 जिलों में 250 नए करोना संक्रमित मिले हैं। इससे पहले बुधवार को 246 रोगी पाए गए थे। इधर राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 67 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 61, बीकानेर में 23, भीलवाड़ा में 12, उदयपुर 11, डूंगरपुर में 10, राजसमंद में 9, अलवर में 8, अजमेर में 7, बाड़मेर व जैसलमेर में 6-6, नागौर में 5, चित्तौड़गढ़ व प्रतापगढ़ में 4-4, सीकर, दौसा व कोटा में 3-3, झालावाड़ व बांसवाड़ा में 2-2 तथा भरतपुर, चूरू, जालौर और सिरोही में एक-एक संक्रमित मिला है। वहीं 10 जिलों बारां, बूंदी, धौलपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, करौली, पाली, सवाई माधोपुर और टोंक में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है।

- **सबसे ज्यादा 67 नए मरीज जयपुर में जबकि 61 संक्रमित जोधपुर में पाए गए हैं।**
- **प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से एक मरीज की मौत हो गई है।**

प्रदेश में गुरूवार को केवल 112 ही संक्रमित ठीक हुए हैं। राज्य में रिकवरी में कमी होने से एक्टिव केस बढ़कर 1575 हो गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 437 मामले जयपुर जिले में है। वहीं जोधपुर में 323 और बीकानेर में 144 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में भरतपुर में 1 संक्रमित की मौत हो गई है। इसके साथ ही यहां अब तक 274 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब तक इस बीमारी से 9577 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

जयपुर जिले में गुरूवार को 28 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 10 नए संक्रमित सांगानेर में पाए गए हैं। इसके अलावा झोटवाड़ा व वैशाली नगर में 5-5, अजमेर रोड, बनीपार्क, मानसरोवर व सोडाला में 4-4, सिविल लाइंस व सी-स्कीम में 3-3, जगतपुरा, मालवीय नगर, रामगंज व तिलक नगर में 2-2 तथा आदर्श नगर, बरकत नगर, चौमूं, दुर्गापुरा, गांधी नगर, गोपालपुरा, खातीपुरा, महेश नगर, मुरलीपुरा, सांभर लेक, सेठी कॉलोनी, शांति नगर, शास्त्री नगर और विद्याधर नगर में एक-एक संक्रमित मिला है। वहीं 3 संक्रमितों का पता गलत मिला है। जिले में पिछले चौबीस घंटों में कोई भी मरीज ठीक नहीं हुआ है।

'747 वेबसाइटों और 94 यूट्यूब चैनलों पर रोक लगाई गई'

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी

जयपुर, (का.सं.)। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा कि 2021-22 में मंत्रालय ने देशहित के खिलाफ काम करने वाले यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में ठाकुर ने कहा कि मंत्रालय ने 94 यूट्यूब चैनलों, 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई की है और उन्हें रोक दिया गया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम 2000 की धारा 69 ए के तहत की गई है।

- **'देशहित के खिलाफ काम करने वाले चैनलों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है**

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाकर और इंटरनेट पर दुष्प्रचार करके देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।

विश्व हिन्दू परिषद ने संत के आत्मदाह को बताया हिन्दू विरोधी

जयपुर। डीग, भरतपुर के ग्राम पासोपा में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा संतों की सही मांगों को न मनाने के कारण हिन्दू संत विजय बाबा ने पेट्रोल डाल कर आत्मदाह कर अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया है ये वर्तमान राजस्थान सरकार के लिए घोर शर्म की बात है। ओर इस दुखद घटना के बाद जिस प्रकार सम्भागीय आयुक्त द्वारा आनन फानन मे उस खनन क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित करने की कार्यवाही करने का आदेश निकाल गया वो भी निंदनीय है, क्योंकि उसमे कार्यवाही करने कि बात कही गई है न की कोई ठोस निर्णय लिया गया है ओर अंतिम गद्य में लिखा है कि काफी हद तक पूरा कर लेंगे। ये सरकारी 'काफी हद' तक कितना होता है सब जानते हैं। आदिबद्री व कनाकांचल पर्वत को खनन मुक्त कराने कि मांग को लेकर हिन्दू संतों द्वारा कई महीनों से चल रहे धरणा प्रदर्शन पर सरकार ने कुंभकरण की नींद धारण कर रखी थी। 10 दिन पूर्व जब बाबा हरिबोलदास जी ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी तब भी राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया अपितु इस घटना को होने दिया। इसलिए ये घटना आत्मदाह नहीं है बल्कि राज्य सरकार द्वारा जघन्य हत्या का प्रयास ही है। ये घटना उदयपुर में कन्हैया कुमार कि जघन्य हत्या जो राज्य सरकार के ही कारण हुई जैसी ही है। उस समय भी सरकार ने समय रहते कुछ नहीं कर घटना को होने दिया था। विश्व हिन्दू परिषद ने इस घटना पर तीव्र संज्ञान लिया है ओर वर्तमान राज्यसरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हिन्दू समाज को प्रताडित करने का विगत महीनों से जो गंदा कार्य ये हिन्दू विरोधी सरकार कर रही है उसके गंभीर परिणाम इसे भोगने पड़ेंगे अब हिन्दू समाज जाग ओर समझ गया है।

- **'ये घटना आत्मदाह नहीं है बल्कि राज्य सरकार द्वारा जघन्य हत्या का प्रयास ही है'**

'पांचना बांध से पूर्व की तरह सिंचाई के लिए पानी की सप्लाई शुरू की जाए'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने करौली के पांचना बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं देने के मामले में कहा है कि पूर्व की व्यवस्था के अनुसार पानी की सप्लाई शुरू की जाए। वहीं अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस संबंध में किसी ने कानून-व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं अदालत ने करौली और सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर को कहा है कि वे पानी की सप्लाई का विरोध करने वाली पंचायतों में नोटिस के जरिए अदालती आदेश की जानकारी दें। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश ग्रामोत्थान संस्थान की जनहित याचिका पर दिए। अदालत ने कहा है कि यदि किसी को पानी सप्लाई के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह संबंधित जिला कलेक्टर को अपनी आपत्ति दर्ज कराए और कलेक्टर 17 अगस्त तक इन आपत्तियों को अदालत में रखे।

- **हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिये**

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद व अधिवक्ता दीपक शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया जा रहा और पिछले 14 साल से स्थानीय निवासियों को सिंचाई के लिए पांचना बांध, करौली से पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। जबकि पूर्व में बांध से नियमित तौर पर पानी की सप्लाई जारी थी। लेकिन एक संघर्ष समिति के आंदोलन के कारण बांध से पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था के नाम पर पानी की सप्लाई रोक रही है। पीआईएल में कहा कि जिस उद्देश्य से बांध का निर्माण किया था वह पूरा ही नहीं हो रहा और 46 गांव के करीब सवा लाख लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। इससे सरकारी राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए बांध से पूर्व की तरह पानी की सप्लाई शुरू की जाए।

'एक पद पर दो एएनएम, पुरानी एएनएम काम करती रहेगी'

जयपुर। हाईकोर्ट ने एएनएम के पद पर काम कर रही कर्मचारी का तबादला किए बगैर दूसरी कर्मचारी को इस पद पर लगाने के मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव और स्वास्थ्य निदेशक से जवाब मांगा है। अदालत ने पहले से तैनात एएनएम को काम करते रहने को कहा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह ने यह आदेश ओमना मैथ्यू की याचिका पर दिए।

- **हाईकोर्ट ने एक कर्मचारी का तबादला किये बिना दूसरी को लगाने पर जवाब मांगा**

याचिका में अधिवक्ता मोहित बलवदा और अधिवक्ता भावना चौधरी ने बताया कि याचिकाकर्ता पिछले लंबे समय से सब-सेंटर केशवाना राजपूत, जयपुर में एएनएम पद पर काम कर रही है। वहीं वह अगले साल तीस जून को सेवानिवृत्त होने वाली है। याचिका में कहा गया कि गत छह जुलाई को स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर एक अन्य एएनएम कविता को याचिकाकर्ता के स्थान पर स्थानांतरित कर दिया, लेकिन याचिकाकर्ता का दूसरी जगह तबादला नहीं किया। जिसके चलते एक पद पर दो एएनएम हो गई हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि तबादला आदेश में याचिकाकर्ता का सरनेम भी गलत लिखा है। जिससे साबित होता है कि विभाग ने बिना दिमाग लगाए जल्दबाजी में तबादला आदेश जारी किया है। ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगते हुए याचिकाकर्ता को वर्तमान पद पर काम करते रहने को कहा है।

द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गुरुवार को नव निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति चुने जाने पर फोन करके व्यक्तिगत बधाई और शुभकामनाएं दीं।

'सरकारी जमीन मौजूद है तो उप तहसील के लिए अवाप्ति क्यों?'

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव, जयपुर कलेक्टर और फागी एसडीओ सहित स्थानीय तहसीलदार को नोटिस जारी कर पूछा है कि जब सरकारी जमीन मौजूद है तो उप तहसील के लिए भूमि अवाप्ति क्यों की गई है। सीजे एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप ढंड ने यह आदेश भेरूलाल चौधरी व अन्य की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता हनुमान प्रसाद चौधरी ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार फागी में उप तहसील, निमेडा बना रही है। जिसमें फागी के कुछ गांवों को शामिल किया गया है। इन गांवों की दूरी उप तहसील से काफी दूर है। इसके अलावा निमेडा में करीब नौ बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है और यह राजकीय भवन के लिए आरक्षित भी है। इसके बावजूद उप तहसील का भवन यहां बनाने के बजाए टोंक सीमा पर निजी भूमि को अवाप्त कर बनाया जा रहा है।

मत्स्यपालकों व पशुपालकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण वितरण किया जाए : श्रेया गुहा

जयपुर, (का.सं.)। प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने कहा कि किसानों के साथ-साथ मत्स्यपालकों एवं पशुपालकों को भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराए ताकि इनकी जरूरतें पूरी हो सके।

- **'राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 25 करोड़ का ऋण वितरण होगा'**
- **'इस वर्ष 5 लाख नए सदस्य किसानों को फसली ऋण का वितरण होगा'**

सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने गुरूवार को अपेक्स बैंक में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की बैठक को संबोधित किया।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक नए सदस्य किसानों को फसली ऋण से जोड़ा जाए और इस वर्ष 5 लाख नए सदस्य किसानों को शून्य प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ दिलाया जाए।

गुहा गुरूवार को अपेक्स बैंक में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करे कि राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को आवश्यकता अनुसार ऋण उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 25 करोड़ का ऋण इन समूहों को वितरित किया जाना है। इसके लिए बैंक योजनाबद्ध तरीके से इन समूहों को ऋण सुविधा से जोडे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन किया जाना है। अत: ग्राम सेवा सहकारी समितियों अपनी आय के लिए केवल फसली ऋण वितरण तक ही सीमित नही रहे।

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को व्यवसाय के विविधिकरण के लिए प्रेरित करे ताकि स्वयं की आवश्यकता के साथ-साथ आस-पास के लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती के लिए शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी की जाएगी ताकि बैंकों में कार्मिकों की कमी को पूरा किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कार्मिशयल बैंकों की तरह ही सहकारी बैंक अपने आप को अपडेट करे।

उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड एवं आरबीआई के नियमों की पालना करे। गुहा ने कहा कि एसएलबीसी के पोर्टल पर एसएचजी ऋण वितरण को अपडेट करे साथ ही त्रैमासिक विवरणिया भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के लिए ऑडिट आवश्यक है, अत: जुलाई माह तक समस्त पैक्स की ऑडिट सुनिश्चित करे ताकि पैक्स कम्प्यूटराईजेशन के प्रोजेक्ट में इन्हें शामिल किया जा सके।

बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम राजीव लोचन शर्मा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग ओम प्रकाश पारीक तथा सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक तथा अपेक्स बैंक के संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य सिद्धार्थ शर्मा पुत्र स्व. चन्द्रप्रकाश शर्मा, निवासी 26, ढोली बावडी, उदयपुर, राज. का पुत्र रचित शर्मा, आयु 20 वर्ष, मेरे अभिभाष्य के कहे में नहीं है एवं गत काफी समय से मेरे अभिभाष्य को प्रताडित कर रखा है जिसके चलते मेरे अभिभाष्य ने पुत्र रचित शर्मा से अपने समस्त पारिवारिक संबंध विच्छेद कर उसे अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है यदि कोई भी व्यक्ति रचित शर्मा से किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है तो इस बाबत वह स्वयं जिम्मेवार होगा। सूचित रहे।
जयपुर (ओमप्रकाश पहाड़िया) एडवोकेट
दिनांक-21/7/2022 मो.-9667696224

नाम परिवर्तन
मैंने अपना नाम Gourav Jain से बदलकर Gaurav Jain S/o Praveen Chandra Jain रख लिया है। भविष्य में मुझे Gaurav Jain के नाम से जाना जावे। पता-301 सिद्धी होम्स सरस्वती एनक्लेव, सुमेर नगर, मानसरोवर, जयपुर

कार्यालय नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर
क्र.- एफ-6( ) उपा.राज-द्वि.(सा.प्रा.)./ननिज/2022/1160
सार्वजनिक सूचना दिनांक- 21.07.2022
मूल भूखण्ड सं. डी-97, अम्बाबाडी, जयपुर का निगर विकास न्यास जयपुर द्वारा वृज के.सी. शर्मा से क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज भूमि का आवंटन एवं पट्टा जारी किया गया था। श्री कृष्णा चन्द्र शर्मा (के.सी. शर्मा) द्वारा उक्त भूखण्ड डी-97, अम्बाबाडी, जयपुर क्षेत्रफल 390.60 वर्गमीटर श्री राजेन्द्र प्रसाद जगवायन को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान किया गया। श्री राजेन्द्र प्रसाद जगवायन एवं उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमलता की मृत्यु उपरान्त श्री विनीत कुमार जगवायन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद द्वारा उक्त भूखण्ड में से अपना अविभाजित हिस्सा अपने भाई श्री विवेक जगवायन पुत्र स्व श्री राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में रजिस्टर्ड हकत्याग किया गया आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड सेल डीड, मूल मृत्यु प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, (अण्डरटेकिंग) एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्री विवेक जगवायन पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद के पक्ष में क्षेत्रफल 457.14 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व- द्वितीय) में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
(सोहन राम चौधरी) उपायुक्त (आयोजना द्वि.) नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-4480 दिनांक-20/6/2022
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/फ्लैट संख्या 85/436 (LIG) का आवंटन श्री राजेन्द्र कुमार गौतम पुत्र श्री घासीलाल गौतम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 760 दिनांक 2-11-1993 को जारी किया गया था। उनके पक्ष में पंजीयन पत्रों निष्पादन दिनांक 9-1-2012 को उप पंजीयक सांगानेर प्रथम जयपुर के यहां पंजीकृत करवाया गया। श्री राजेन्द्र कुमार गौतम की मृत्यु दिनांक 24-5-2021 को हो जाने के कारण उनके पुत्र श्री संजय गौतम पुत्र स्व.श्री राजेन्द्र कुमार गौतम द्वारा आवासन मण्डल में अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास का हस्तान्तरण बावत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री संजय गौतम पुत्र स्व.श्री राजेन्द्र कुमार गौतम का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा.मण्डल, जयपुर

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id:dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No.0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1190 दिनांक-19/7/22
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 141/ए-808, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 52.82 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन सुश्री जेठ एन आहूजा पुत्री श्री नारायण दासको किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3307 दिनांक 9-3-2011 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 29-7-2011 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 1149 दिनांक 6-7-2011 के द्वारा सुश्री जेठ एन आहूजा पुत्री श्री नारायण दास के नाम अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दियागया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 9-2-2012 को करवाया गया। राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 3755 दिनांक 21-3-2014 के द्वारा श्री अमरलाल नारायण दास आहूजा पुत्र स्व. श्री नारायण दास आहूजा के नाम मृत्यु पश्चात हस्तान्तरण कर दिया गया। श्री अमरलाल नारायण दास आहूजा द्वारा उक्त आवास का गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) के श्रीमती गौरी गुरनानी पत्नी श्री हरगोबिन्द गुरनानी को कर दिया गया। इनके द्वारा उक्त आवास के गिफ्ट डीड (उपहार पत्र) का निष्पादन दिनांक 3-8-2016 को उप पंजीयक कार्यालय जयपुर में करवा लिया गया। तत्पश्चात श्रीमती गौरी गुरनानी की मृत्यु दिनांक 30-7-2019 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती सोनिका चांदवानी पत्नी श्री गिरिश चांदवानी ने मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। श्रीमती सोनिका चांदवानी पत्नी श्री गिरिश चांदवानी के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम एवं लीजडीड हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक श्रीमती सोनिका चांदवानी, पत्नी श्री गिरिश चांदवानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

कार्यालय उपायुक्त (मुरलीजोन जोन) - नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
क्र.- मु.जो./ ननिज/2022/867
आपत्ति आमंत्रण सूचना दिनांक- 20.07.2022
समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मुरलीपुरा जोन, कार्यालय में श्री काशी प्रकाश सैनी पुत्र श्री कजोड मल सैनी निवासी ए-46, किशोर नगर, मुरलीपुरा, जयपुर के द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख, बिजली की रसीद, उपहार पत्र के आधार पर 243.88 वर्गगज का 69-क के तहत पट्टा चाहा गया है जिसकी नियमानुसार कार्यवाही विचाराधीन है उक्त भूखण्ड का पट्टा जारी किये जाने पर किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो जोन कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य आपत्ति पेश करें। बाद मियाद गुजरने के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
उपायुक्त मुरलीपुरा जोन नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समिति की योजना मान विहार में भूखण्ड संख्या 96 जो कि टोंक रोड, जयपुर में स्थित है, के समस्त मूल आवन्टन पत्र, रसीदे, साईड प्लान गुम हो जाने बाबत प्रार्थना-पत्र से क्रेता श्रीमती चन्दा देवी पत्नी श्री मनोहर लाल की ओर से प्राप्त हुआ है, जिसमें डुप्लीकेट आवन्टन-पत्र व रसीदे आदि जारी करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः इस आम सूचना के द्वारा सर्वसाधारण, समस्त व्यक्ति, संस्था, बैंक, सरकारी व अर्द्धसरकारी विभाग आदि को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त भूखण्ड संख्या 96 क्षेत्रफल 200.00 योजना मान विहार, टोंक रोड, जयपुर के बाबत कोई भी आपत्ति, उज्र अथवा एतराज हो तो वह समिति कार्यालय में प्रातः 10 से सायं 5 बजे के मध्य मय सबूत सम्पर्क करें। अन्यथा 15 दिवस पश्चात समिति कार्यालय द्वारा डुप्लीकेट आवन्टन व रसीद, साईड प्लाट जारी कर दिये जायेंगे एवं कोई आपत्ति स्वीकार नहीं जायेगी अर्थात अमान्य होगी।
मंत्री-पटेल नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर (राजस्थान)

कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त द्वितीय
राजस्थान आवासन मण्डल, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
Email Id:dhejpr2.rhb@rajasthan.gov.in, Phone No.0141-2782772
क्रमांक-DHC-II/1201 दिनांक-21/7/22
जाहिर आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास संख्या 80/435, मानसरोवर, जयपुर, क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर/वर्ग गज का आवंटन चंदिकुमारी पुत्री श्री धर्मचन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 30-5-1994 को जारी किया गया। इनके द्वारा उक्त आवास का भौतिक कब्जा दिनांक 20-11-1996 को प्राप्त कर लिया गया था। इसके पश्चात राजस्थान आवासन मण्डल के पत्र क्रमांक 118 दिनांक 19-4-1997 के द्वारा डॉ. रमेश एम. वन्जानी पुत्र स्व.एम.जे. वन्जानी के नाम नियमितिकरण पत्र जारी कर दिया गया। इनके द्वारा अपने स्वयं के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर में दिनांक 29-7-1998 को करवाया गया। तत्पश्चात डॉ. रमेश एम. वन्जानी की मृत्यु दिनांक 19-3-2021 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी डॉ. सरोज वन्जानी पत्नी स्व. डॉ. रमेश एम.वन्जानी ने मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण हेतु निवेदन किया है। डॉ.सरोज वन्जानी पत्नी स्व.डॉ. रमेश एम. वन्जानी के द्वारा मण्डल अभिलेख में उक्त आवास का मृत्यु पश्चात नाम हस्तान्तरण अपने पक्ष में करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त वर्णित व्यक्ति/आवेदक डॉ. सरोज वन्जानी पत्नी स्व.डॉ. रमेश एम.वन्जानी के पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही कर दी जावेगी। उक्त जाहिर आम सूचना उप आवासन आयुक्त महोदय से अनुमोदित है।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त द्वितीय, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-भिवाड़ी
क्रमांक-641 दिनांक-18.7.2022
आवश्यक सूचना मूलतः आवास संख्या 7/625 सैक्टर 4 व 7, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, भिवाड़ी श्री भरत सिंह को आवंटन पत्रांक 2512 दिनांक 21.03.2005 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा इनके पक्ष में अदेय प्रमाण पत्र संख्या 481 दिनांक 30.05.2005 को जारी किया जा चुका है। इनके द्वारा उक्त आवास की रजिस्ट्री स्वयं के पक्ष में दिनांक 27.07.2005 को उप पंजीयक भिवाड़ी में पंजीकृत करवाई जा चुकी हैं। श्री भरत सिंह मृत्य दिनांक 05.05.2021 को हो चुकी हैं। श्री ऋषिपाल सिंह ने प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रपत्र एवं श्री भरत सिंह की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत हकत्याग प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि श्री भरत सिंह का स्वर्गवास दिनांक 05.05.2021 को हो जाने के कारण उपरोक्त आवास संख्या 7/265 सैक्टर 4 व 7 भिवाड़ी जिला अलवर को पंजीकृत हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण उनके नाम किया जाये। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जता है कि उक्त आवास संख्या 7/265 सैक्टर 4 व 7 भिवाड़ी के संबन्ध में पिता, पुत्र, पुत्रियों भाई व अन्य किस रिश्तेदार को किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति विशेष हितकारी को एवं आम व्यक्ति को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड भिवाड़ी में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत के अन्यथा श्री ऋषिपाल सिंह पुत्र स्व. श्री भरत सिंह के पक्ष में उपरोक्त आवास संख्या 7/265 सैक्टर 4 व 7 भिवाड़ी जिला अलवर का पंजीकृत, हकत्याग के आधार पर मृत्यु उपरान्त प्रतिस्थापन हस्तांतरण किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
(पी.एल.मीणा) आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड भिवाड़ी